



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022023-243655
CG-DL-E-16022023-243655

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 679]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2023/माघ 26, 1944

No. 679]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2023/MAGHA 26, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2023

का.आ. 709(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4245 (अ) तारीख 23.08.2022 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा झारखण्ड राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइप लाइन (जे एच बी दी पी एल) & स्पर पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

एस वी 28 - डोभी दुर्गापुर सेक्शन ऑफ़ जेचबीडीपील से जी सी एस झरिया
अनुसूची

राज्य : झारखण्ड

जिला	ब्लॉक	गांव	थाना नं.	सर्वेक्षण नं.	क्षेत्र		
					हेक्टेयर आर वर्ग मी.		
बोकारो	चदनकियारी	बाटबिनोर	205	663	00	00	35
				655	00	05	26
				656	00	01	00
				644	00	00	22
				645	00	07	90
				646	00	03	78
				647	00	00	12
				590	00	06	42
				580	00	29	95
				3546	00	00	47
				481	00	00	53
				482	00	03	44
				737	00	02	80
				674	00	01	68
				562	00	00	23

[फा. सं. एल-14014//145/2022.जीपी-II(ई-43446)]

राकेश मिश्रा, उप सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2023

S.O. 709(E).—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S. O. No. 4245 (E) dated 23.08.2022 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline in the State of Jharkhand by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SV 28 AT DOBHI-DURGAPUR SECTION OF JHBDPL TO JHARIA GCS

SCHEDULE

State: JHARKHAND

District	Block	Village	Thana No.	Survey No.	Area
					Hect Are Sq.mt.
BOKARO	CHANDANKYARI	BATBINOR	205	663	00 00 35
				655	00 05 26
				656	00 01 00
				644	00 00 22
				645	00 07 90
				646	00 03 78
				647	00 00 12
				590	00 06 42
				580	00 29 95
				3546	00 00 47
				481	00 00 53
				482	00 03 44
				737	00 02 80
				674	00 01 68
				562	00 00 23

[F. No. L-14014/145/2022-GP-II(E-43446)]

RAKESH MISHRA, Dy. Secy.